

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21012022-232811
SG-DL-E-21012022-232811असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| सं. 35] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 384 |
| No. 35] | DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943 | [N. C. T. D. No. 384 |

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

फा. सं. 6/15/85-न्याय/खंड-1/अधी.विधि./80-85-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70/डीएच(एस) तथा दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70/डीएच(एस) द्वारा यथासंशोधित के साथ पठित और इस संबंध में सशक्त बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 की अनुसूची समय-समय पर यथासंशोधित, को निम्न अनुसूची से प्रतिस्थापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को दिल्ली न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाए।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 5 की प्रथम पंक्ति में संशोधन दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 (यहां बाद में उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 5 की प्रथम पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"5 सिविल जजों (सिनियर डिविजन) की संख्या सेवा के संवर्ग संख्या का 25 प्रतिशत होगी जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है"
3. नियम 4 के तहत निर्दिष्ट अनुसूची नियम 4 में निर्दिष्ट निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची
(नियम 4 के तहत)

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | सिविल जज (वरिष्ठ मंडल) (संवर्ग संख्या का 25 प्रतिशत) | |
| | इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे— | |
| | i. वरिष्ठ सिविल जज—सह—किराया नियंत्रक | 11 |
| | ii. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज—सह—जज लघु मामलें—सह—गार्जियन जज | 11 |
| | iii. मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी | 12 |
| | iv. अतिरिक्त मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी | 15 |
| | v. अतिरिक्त किराया नियंत्रक | 11 |
| | vi. प्रशासनिक सिविल जज | 11 |
| | vii. अथवा अन्य अधिकारी जो सिविल जज (वरिष्ठ मंडल) के रूप में पदनामित किये जा सकें | 50 |
| | | उप-योग 121 |
| 2. | सिविल जज (कनिष्ठ मंडल) इसमें सिविल जज / महानगरीय दंडाधिकारी सम्मिलित होंगे | 361 |
| | | कुल 482 |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2022

No.F. 6/15/85-Judl./Vol.I/Suptlaw/80-85: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.1/2/70/DH(S) dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S) dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Judicial Service Rules, 1970, namely:-

- 1. Short title and commencement.** -
- (1) These rules may be called the Delhi Judicial Service (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of first para of rule 5. - In the Delhi Judicial Service Rules, 1970, (hereinafter referred to as the said rules) for first para of rule 5, the following shall be substituted, namely: -

“5. The number of Civil Judges (Senior Division) shall be 25% of the cadre post strength of the Service as specified in the Schedule.”

3. Amendment of Schedule specified under rule 4: The following Schedule specified in rule 4, shall be substituted namely:-

SCHEDULE

(Under rule 4)

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Civil Judges (Senior Division) (25% of cadre strength) | |
| | This will include – | |
| | (i) Senior Civil Judge-cum-Rent Controllers | 11 |
| | (ii) Additional Senior Civil Judges-cum-Judges Small Cause Courts-cum-Guardian Judges | 11 |
| | (iii) Chief Metropolitan Magistrates | 12 |
| | (iv) Additional Chief Metropolitan Magistrates | 15 |
| | (v) Additional Rent Controllers | 11 |
| | (vi) Administrative Civil Judges | 11 |
| | (vii) Or any other officer who may be designated as Civil Judge (Senior Division) | 50 |
| | Sub Total | 121 |
| 2 | Civil Judges (Junior Division) This will include Civil Judges / Metropolitan Magistrates. | 361 |
| | Total | 482 |

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)